

## बांस रोपण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति

राज्य बांस विकास अभिकरण (State Bamboo Development Agency) उत्तराखण्ड द्वारा संचालित "राष्ट्रीय बांस मिशन" के अन्तर्गत इच्छुक किसान, स्वयं सहायता समूह, सहाकारिताएँ तथा निजी संस्थाओं से बांस रोपण हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन की गाईडलाइन के अनुसार निजी भूमि पर बांस रोपण करने हेतु रू0 60,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है। इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र परिषद् के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा परिषद् की वेब साईट [www.ubfdb.org.in](http://www.ubfdb.org.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।

निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भर कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्, न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरानगर, देहरादून, उत्तराखण्ड, दूरभाष: 0135-3501947 फ़ैक्स: 0135-3500236 के पते पर दिनांक 25 जून 2026 तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बांस रोपण केवल उन क्षेत्रों के लिए अनुमन्य होगा जो बांस उत्पादन के लिए उपयुक्त पाये जायेंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत करने मात्र से स्वीकृति सुनिश्चित नहीं होगी। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं क्षेत्रीय उपयुक्तता के आधार पर ही अंतिम चयन किया जायेगा। किसी भी आवेदन या समस्त आवेदनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

स्टेट मिशन डायरेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी